रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-Section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 178] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1998/कार्तिक 27, 1920

No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 1998/KARTIKA 27, 1920

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1998

आ.अ. 278(अ).—यत: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 59क में उपबंधित है कि निर्वाचन आयोग को जहां किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों के अभित्रास और उत्पीड़न की आशंका है और उसका यह मत है कि मतदान-केन्द्रवार मतगणना करने के बजाय उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में प्रयुक्त मतपेटियों में से सभी मतपत्रों को निकाल कर गणना से पहले मिलाया जाना नितान्त आवश्यक है तो वह इस हेतु शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगा;

2. और यत: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उक्त नियम 59क के अधीन ऐसे विनिर्देशन होने पर, विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र के मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्रवार गणना करने के बजाय, मिश्रित करके की जाएगी;

3. और यत: निर्वाचन आयोग ने इस मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और यह निश्चय किया है कि गुजरात राज्य के 23-भड़ौच संसदीय सभा निर्वाचन-क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के हित में तथा निर्वाचकों के बचाव और सुरक्षा के लिए भी एवम् उस निर्वाचन-क्षेत्र में, निर्वाचकों के अभित्रास और उत्पीड़न को रोकने की दृष्टि से, उक्त संसदीय सभा निर्वाचन-क्षेत्र को, लोक सभा के उप-निर्वाचन में, जो कि उक्त संसदीय सभा निर्वाचन-क्षेत्र में प्रगति उन्मुख हैं, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ, उक्त नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;

4. अत: अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा गुजरात राज्य में उक्त 23-भड़ौच संसदीय सभा निर्वाचन-क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 59क के उपबंध उक्त लोक सभा के उप-निर्वाचन में, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ, लागू होंगे।

[सं. 470/98/न्या.-II]

आदेश से,

के. जे. राव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1998

O.N. 278(E).—Whereas, rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961 provides that where the Election Commission apprehends intimidation and victimisation of electors in any constituency and it is of the opinion that it is absolutely necessary that ballot papers taken out of all ballot boxes used in that constituency should be mixed before counting, instead of being counted polling stationwise, it may, by notification in the Official Gazette, specify such constituency;

2. And whereas, on such specification under the said rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961, the ballot papers of the specified constituency shall be counted by being mixed instead of being counted polling stationwise;

3. And whereas, the Election Commission has carefully considered the matter and has decided that in the light of the prevailing situation in 23–Broach Parliamentary Constituency in the State of Gujarat and in the interests of free and fair election and also for safety and security of electors and with a view to preventing intimidation and victimisation of electors in that Constituency, the said Parliamentary Constituency may be specified under the said rule 59A for the purposes of counting of votes at the bye-election to the House of the People from the said Parliamentary Constituency now in progress;

4. Now therefore, the Election Commission hereby specifies the said 23–Broach Parliamentary Constituency in the State of Gujarat as the Constituency to which the provisions of rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961, shall apply for the purposes of counting of votes at the bye-election to the House of the People from the State of Gujarat.

[No. 470/98/JUD-II]

By Order,

K.J. RAO, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.